9(19)/स्टडी-एमएसएमई एक्सपोर्ट्स/2018-ईपी

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

रुचि की अभिव्यक्ति

विषय: संगठनों के पैनल में शामिल होने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति ।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु "उच्च संभावित बाजारों, टैरिफ लाइन और एफटीए पर अध्ययन के लिए संगठनों के पैनल में शामिल होने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है"।

रुचि की अभिव्यक्ति के ब्यौरे www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है ।

अपने प्रस्ताव निम्नलिखित पते पर भेजें:

निदेशक (ईपी)
कमरा नं. 717, 7वां तल,
ए-विंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110108

26/11/19

निदेशक (ईपी)

फा.सं. 9(19)/स्टडी-एमएसएमई एक्सपोर्ट्स/2018-ईपी

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

1. एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय एमएसएमई की विदेशी बाजारों तक पहुंच को संभव बनाने वाली अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से एमएसएमई निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक रणनीतिक योजना बनाई है।

2. एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियां हैं :

- उत्पादों और सेवाओं की मांग के संबंध में सीमित जानकारी
- विदेशी बाजारों की कार्यप्रणाली और विशेषकर निर्यात वितरण चैनलों तक पहुंच बनाने और विदेशी ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने में कठिनाई
- निर्यात संवर्धन और सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता का अभाव
- निर्यातकर्ता और आयातकर्ता देशों के विधिक और नियामक फ्रेमवर्क से अनभिज्ञता
- आईपीआर मुद्दों पर और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों (आईटीए) के विषय में जागरूकता का अभाव
- आयातकर्ता के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और निर्यात बाजार के लिए उपयुक्त डिजाइन और इमेज तैयार करने में असमर्थता
- विदेशी और घरेलू बाजार के विनियमों के अनुपालनार्थ अपेक्षित अधिक समय लेने वाली और जटिल दस्तावेजीकरण प्रक्रिया ।

3. इस रणनीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- वर्ष 2020 तक भारत से 100 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का लक्ष्य
- एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए एमएसएमई की तैयारी का मूल्यांकन करना और उन्हें समर्थ बनाना
- ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें दक्षतापूर्वक निर्यात के लिए सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
- ग्लोबल वैल्यू चेन में भारतीय एमएसएमई के एकीकरण में सहयोग करना।

4. <u>इस अनुसंधान का विषयक्षेत्र निम्नानुसार है</u>:

1. उत्पादों के आयात की संभावनाओं के संबंध में बाजार अनुसंधान और प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण, टैरिफ लाइन, वर्तमान निर्यातों और उसकी संभावनाओं सहित विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पादों के साथ एचएस कोड का प्रयोग।

2. व्यापार और भागीदारी की संभावनाओं के साथ उत्पादों के व्यापार और रूटों के विस्तृत विश्लेषण सहित क्षेत्र विशेष से संबंधित जानकारी और महत्वपूर्ण दस्तावेज।
3. लक्षित देशों द्वारा आयात किए गए एचएस आधारित संभावित उत्पादों की पहचान करना, जो विशुद्ध रूप से एमएसएमई से संबंधित हो और प्रतिस्पर्धी देश के डाटा के साथ आयात किए गए उत्पादों में भारत की भागीदारी।
4. टैरिफ लाइनों, एफटीए की उपलब्धता, मार्केट प्राइस पाइंट्स और एमएसएमई निर्यात से जुड़े अन्य बिन्दुओं की पहचान।
5. एमएसएमई उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच और प्रवेश योजना।

5. <u>प्रस्ताव :-</u>

विकास आयुक्त कार्यालय , एमएसएमई मंत्रालय , भारत सरकार मंत्रालय को एमएसएमई के विकास और निर्यात संवर्धन के लिए ज्ञान का आधार स्थापित करने हेतु अनुभवी विदेशी व्यापार संस्थानों/ एमएसएमएमई विकास के लिए अनुसंधान और अध्ययन में कार्यरत सामाजिक उद्यमों, गैर-लाभकारी संस्थानों और उद्योग संग़ठनों जिन्हें एमएसएमई / निर्यात को सुगम और सक्षम बनाने में 5 वर्षों का अनुभव हो से अनुसंधान/अध्ययन/सर्वेक्षण/नॉलेज पेपर के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई के विकास के लिए सफलतापूर्वक कम से कम 2 अध्ययनों/ सर्वेक्षणों को पूरा करना अपेक्षित है। यदि प्रस्ताव के लिए मूल्यांकन मानदंड अन्यथा पूरे किए गए हो , तो अनुभव के मानदण्डों में मूल्यांकन समिति द्वारा छूट दी जा सकती है।

6. <u>मूल्यांकन :</u>
मूल्यांकन समिति को वे प्रस्ताव भेजे जाएगें जिनका मूल्यांकन निम्नलिखित के आधार पर किया गया हो :

1. विषय की समझ, अध्ययन की गहनता और प्रस्तावित अध्ययन की प्रभावोत्पादकता
2. एमएसएमई निर्यात के लिए डाटा और ज्ञान का एक आधार बनाने में मंत्रालय को सक्षम बनाना
3. भारतीय एमएसएमई को निर्यात सक्षम बनाने में समयबद्ध और लक्षित रणनीति तैयार करने में मदद देना।

7. <u>संदर्भ की शर्तें:</u>
प्रस्तावों को स्वीकार करने की अंतिम तिथि नहीं है। मूल्यांकन समिति , द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की जब और जहाँ जरूरत होगी, समय समय पर समीक्षा की जाएगी।

मूल्यांकन समिति द्वारा सूचीबद्ध संस्थानों/ संगठनों द्वारा करार के लिए विस्तृत समयबद्ध सुपुर्दगियों तथा लाग तों के साथ संदर्भ शर्तें प्रस्तुत करनी होंगी। प्रत्येक अनुसंधान/अध्ययन परियोजना 180 दिनों से कम समय में पूर्ण करने की अपेक्षा की जाती है।

लागत के साथ-साथ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को विकास आयुक्त (एमएसएमई) के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। प्रस्ताव के वित्तीय अनुमोदन के पश्चात , प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाएगा।

8. इस योजना के तहत प्रत्येक अध्ययन के लिए भुगतान की शर्तें निम्नलिखित होंगी :

(i) पहली किश्त: प्रशासनिक अनुमोदन के जारी होने पर, शुल्क का 15 प्रतिशत ।
(ii) दूसरी किश्त : 25 प्रतिशत, बशर्ते कि:

(क) करार में निर्धारित समय-सारणी के भीतर मसौदा रिपोर्ट (कार्यकारी सार सहित मसौदा रिपोर्ट की 5 प्रतियां) प्रस्तुत किया गया हो, तथा

(ख) मूल्यांकन समिति के समक्ष मसौदा रिपोर्ट पर प्रस्तुतीकरण दिया जा रहा हो तथा मसौदा रिपोर्ट सामान्यत: स्वीकार्य हो जिसमें मूल्यांकन समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने की गुंजाइश हो।

(iii) तीसरी और अंतिम किश्त : मूल्यांकन समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तथा सरकार द्वारा इसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाने पर शेष 60 प्रतिशत ।

9. मंत्रालय के अनुमोदन के बिना रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हुई किसी देरी के लिए प्रतिमाह 8 प्रतिशत का दण्ड लगेगा तथा उसे देय शेष राशि से जब्त किया जाएगा। रिपोर्ट स्वीकार किए जाने तथा संगठन द्वारा बिल , आदि प्रस्तुत किए जाने के पश्चात 6 सप्ताह के भीतर अंतिम राशि का भुगतान किया जाएगा।

10. सौंपे गए कार्य के जारी रहने के दौरान करार की शर्तों और सौंपे गए कार्य की शर्तों में यदि आवश्यक हो तो संबंधित संस्थान की सहमति से कार्य क्षेत्र /कवरेज को सुदृढ़ करने की दृष्टि से संशोधन किया जा सकता है। जहां तक संभव हो अध्ययन जारी रहने के दौरान ये संशोधन एक से अधिक बार नहीं किए जा सकेंगे।

11. संदर्भ शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण यदि लागत में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो लागत की यह बढ़ोत्तरी मूल लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगी जोकि मूल्यांकन समिति के अनुमोदन और समेकित वित्त स्कंध की सहमति से होगी।

12. संस्थान द्वारा संबंधित प्रभाग/संगठन के पूर्वानुमोदन के बगैर कच्चे आंकड़े /प्रसंस्कृत आंकड़े/निष्कर्ष किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किए जाएंगे। मसौदा /अंतिम रिपोर्ट और उसकी विषय सामग्री सरकार की बौद्धिक संपदा होंगे तथा संस्थान द्वारा सरकार के लिखित पूर्वानुमोदन के बगैर इन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा।

*****